संख्या- 61/2025-965-22-4-2025-1764567

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 31 दिसम्बर, 2025

विषय:- विभाग के आय-व्ययक में "व्यय की नई माँग" के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से ट्रैक्टर तथा सहवर्ती कृषि उपकरणों के क्रय हेतु प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार के पत्र संख्या-22520/कृषि-3/165/2025-26, दिनांक 02.06.2025 एवं अपर महानिरीक्षक(प्रशा0), कारागार के पत्र संख्या-45030/कृषि-3/163/2025-26, दिनांक 05.12.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश की कारागारों में तालिका में क्रमांक-1 से 9 तक वर्णित उपकरणों (यथा-हाइड्रोलिक ट्रैक्टर ट्रॉली, कल्टीवेटर, रोटावेटर, पोटेटो प्लाण्टर, पोटेटो डिगर, हैरो डिस्क, लैण्ड लेवलर, पावर स्प्रे मशीन एवं ट्रैक्टर) को जैम पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने हेतु धनराशि रू0 88.22 लाख (रूपये अट्ठासी लाख बाइस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

क्र.	कार्य	मात्रा	दर	कुल लागत
1	हाइड्रोलिक ट्रैक्टर ट्रॉली	06	274666/-	1647996/-
2	कल्टीवेटर	06	48000/-	288000/-
3	रोटावेटर	06	130000/-	780000/-
4	पोटेटो प्लाण्टर	03	200000/-	600000/-
5	पोटेटो डिगर	01	151499/-	151499/-
6	हैरो डिस्क	05	125000/-	625000/-
7	लैण्ड लेवलर	04	28899/-	115596/-
8	पावर स्प्रे मशीन	01	7500/-	7500/-
9	ट्रैक्टर	06	767700/-	4606200/-
			योग-	8821791/- अर्थात 8822000/-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) महानिरीक्षक कारागार द्वारा क्रयार्थ उपकरण/सामग्री का क्रय सूक्ष्य लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित कर नियमानुसार किया जाएगा। इस संबंध में उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल एवं अन्य संगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) धनराशि आहरित करने से पूर्व महानिरीक्षक कारागार द्वारा क्रयार्थ उपकरण/सामग्री का क्रय किये जाने हेतु यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त के क्रय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

(3) महानिरीक्षक कारागार कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित क्रयार्थ उपकरण/सामग्री के मेक/मॉडल/स्पेसिफिकेशन एवं संख्या के संबंध में विभागीय व्यवस्थाओं के अन्तर्गत संतुष्ट हो लेंगे।

(4) महानिरीक्षक कारागार द्वारा क्रयार्थ उपकरण/सामग्री का क्रय की गुणवत्ता/उपयोगिता तथा समयान्तर्गत आपूर्ति के संबंध में पूर्णत: संतुष्ट हो लेगें।

(5) उपकरण/सामग्री का क्रय स्वीकृत धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा तथा किसी प्रकार का विचलन नहीं किया जायेगा।

(6) महानिरीक्षक कारागार द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(7) महानिरीक्षक कारागार द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2026 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 88,22,000 (रुपये अट्ठासी लाख बाईस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008002600 समस्त कारागार **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या-E-12-398-X-2025-26, दिनांक: 30.12.2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-61/2025-965(1)-22-4-2025-1764567, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यंय नियंत्रण) अनुभाग-12 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in